प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड़
देहरादून।

सेवा में,

1.अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी / गढवाल,मण्डल पौड़ी।
2.समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखड।
3.मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0 / यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0देहरादून।
4.रजिट्रार पशुचिकित्सा परिषद् देहरादून।
5.समस्त, परियोजना निदेशक, देहरादून।
6.संयुक्त निदेशक, पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून।
7.प्रभारी अधिकारी, गौ सेवा आयोग, देहरादून।

पंत्राक 2333 / ग्राम्य गोसदन / पशुधन–तीन / 2024–25 दिनांक 22 अगस्त, 2024

विषय :– **ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किये जाने हेतु पुनरीक्षित कार्य योजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 233350 / XV-1/24/1(23)11/44570 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 138 / XV-1/(23)11 दिनांक 27.02.2023 को पुनरीक्षित किया गया है।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति आप को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त शासनादेशों के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 नीरज सिघंल)
निदेशक

पृ0स0 /उक्त दिनांकित
प्रतिलिपिः– प्रमुख निजि सचिव, सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1, सचिवालय देहरादून को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक

CamScanner

150/2024

संख्या–833350/XV-1/24/1(23)11/44570

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रस्तुत
DAH
20/8/24

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 14 अगस्त, 2024

विषय– ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किये जाने हेतु पुनरीक्षित कार्य योजना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड के पत्र संख्या 1572–73 UAWB (206)/2024-25 दिनांक 08 अगस्त, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः 138/XV-1/23/1(23)11 दिनांकः 27.02.2023 को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है–

- उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य राज्यमार्गों के निकटवर्ती गांव अथवा जहां पर निराश्रित नर गोवंश की संख्या अधिक हो उन गांव में ग्राम्य गोसेवक का चयन किया जायेगा।
- ग्राम्य गोसेवकों का चयन – प्राथमिकता के आधार पर पशुपालन का अनुभव रखता हो, गोवंश एवं जीव दया हेतु समर्पित हो तथा ग्राम में निवास करते हो एवं जिनके पास नर गोवंशीय पशुओं को रखने की व्यवस्था हो।
- आवेदक को सम्बन्धित ग्राम प्रधान से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि वे ग्राम निवासी है तथा उनके पास नर गोवंशीय पशुओं को रखने की व्यवस्था है।
- ग्राम्य गोसेवक का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जायेगा। परित्यक्त नर पशुओं की संख्या के आधार पर एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम्य गोसेवकों का चयन किया जा सकेगा।
- ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम्य गोसेवक के चयन उपरान्त निराश्रित नर गोवंशीय पशुओं के उचित रख–रखाव करने के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित रु० 100/– के शपथ पत्र चयन समिति को प्रस्तुत करेगा। ग्राम्य गोसेवक ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा अनुशंसा कर भेजे गये नर गोवंशीय पशुओं को रखने हेतु बाध्य होगा।
- ग्राम्य गोसेवक गोसदन में नर गोवंशीय पशुओं को रखे जाने की अनुशंसा सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक ग्राम्य गोसेवक द्वारा अधिकतम 05 परित्यक्त (6 माह से अधिक आयु के) नर गोवंशीय पशु को ही शरण दिये जाने हेतु मान्य होंगे।
- प्रत्येक ग्राम्य गोसेवक द्वारा निराश्रित नर गोवंशीय पशुओं की एक पंजिका बनायी जायेगी जिसमें समस्त नर गोवंशीय पशुओं से सम्बन्धित विवरण अभिलेखबद्ध किया जाना अनिवार्य होगा। जिसका अवलोकन सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किसी

प्राप्ति सं. 361
दिनांक 20/08/2024

CamScanner
CamScanner

भी समय किया जा सकेगा।

- सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, पहचान चिन्हींकरण एवं टैगिंग कराया जायेगा एवं टैगिंग किये जाने के उपरान्त टैगिंग का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। टैगिंग किये गये पशुओं की पंजिका बनायी जायेगी जिसमें पशुओं की उम्र, टैग नम्बर, स्वास्थ्य स्थिति, चिकित्सा टीकाकरण का समय–समय पर विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी पशुओं के टैग खो जाने की दशा में रिटैगिंग का विवरण अंकित किया जायेगा। ग्राम गोसेवकों का विवरण/पशुओं का फोटोग्राफ व टैगिंग सहित विवरण तथा डी0बी0टी0 के माध्यम से किया गया भुगतान पशुपालन विभाग के सम्बन्धित Software पर अपलोड एवं प्रदर्शित किया जायेगा।
- सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह नर गोवंश की संख्या का सत्यापन के उपरान्त भरण पोषण हेतु अनुदान का बिल मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। ग्राम्य गोसेवक के बिलों का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे ग्राम्य गोसेवक के खाते में किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा–7 एवं धारा–8 के अनुरूप ग्राम्य गोसेवक द्वारा संरक्षित किये गये गोवंशीय पशुओं को यदि छोडा जाता है अथवा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित ग्राम्य गोसेवक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उसकी मान्यता को तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं ग्राम्य गोसेवक का बकाया अनुदान देय नहीं होगा।
- ग्राम्य गोसेवक के द्वारा नर गोवंशीय पशुओं को छोडे जाने की स्थिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान/नगरीय निकाय/जिला पंचायत को सूचित करना अनिवार्य होगा। जिसके क्रम में उक्त निराश्रित गोवंशीय पशुओं को सम्बन्धित ग्राम प्रधान/नगर पालिका/जिला पंचायत द्वारा तत्काल किसी अन्य गोसदन अथवा ग्राम्य गोसेवक को स्थानान्तरित किया जायेगा।
- ग्राम्य गोसेवक के द्वारा नर गोवंशीय पशु की मृत्यु होने की स्थिति में सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा Post Mortem होने तक शव को संरक्षित रखा जायेगा।
- ग्राम्य गोसेवक गोसदन को गोशाला निर्माण हेतु राजकीय अनुदान देय नहीं होगा।
- सम्बन्धित ग्राम्य गोसेवकों को रू0 80/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जायेगा।
- ग्राम्य गोसेवकों का पंजीकरण, चयन आदि को ऑनलाईन किया जायेगा। गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण शैड्यूल, डाईट प्लान आदि का प्रारूप तैयार किया जायेगा।
- पायलट योजना के रूप में प्रारम्भ की जा रही उक्त योजना का दो वर्ष बाद मूल्यांकन किये जाने के पश्चात ही इसका विस्तार किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित कार्ययोजना का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासनादेश संख्या: 138/XV-1/23/1(23)11 दिनांक: 27.02.2023 को इस सीमा तक पुनरीक्षित समझा जाय।

उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by Rajendra Kumar Bhatt
Date: 14-08-2024 16:26:15

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या 233350 /XV-1/2024/1(23)11/44570तद्दिनांकित

CamScanner

50/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन को सचिव, महोदय का संज्ञानार्थ।
3. अपर निदेशक, गढवाल/कुमायूं मण्डल, पौडी।
4. समस्त पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mahaveer Singh Parmaar
Date: 14-08-2024 17:33:44

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव

CamScanner